



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 4, 2010/आश्विन 12, 1932

No. 557]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2010/ASVINA 12, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2010

**सा.का.नि. 809(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (छटा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 17 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"18	लोह अयस्क खदान और अयस्क प्रसस्करण	क. विधूलीयन इकाई के लिये चिमनी उत्सर्जन मानक	
		विविक्त पदार्थ	100 मि.ग्रा./नार्मल घन मीटर
		चिमनी की ऊँचाई **	15.0 मीटर
		**विधूलीय इकाई के लिये चिमनी की ऊँचाई यथा $ऊँ = 74क^{0.27}$ से गणना की जायेगी जहां कि 'ऊँ' तथा 'क' क्रमशः चिमनी की ऊँचाई मीटरों में तथा विविक्त पदार्थ टन/प्रति घंटा में उत्सर्जन की मात्रा है, अर्थात् :-	
		क(कि.ग्रा./घण्टा)	ऊँ (मीटर)
2.71 तक	15		
2.72-7.86	20		
7.87-17.96	25		
17.97-35.29	30		

(1)	(2)	(3)	(4)
		टिप्पण: विधूलोय इकाई से जुड़ी चिमनी कम से कम 15.0 मीटर ऊँची और भवन, शेड या खदान में स्थापित किसी सर्वोच्च बिंदु से कम से कम 2.50 मीटर ऊपर होगी।	
		ख. आशुलोपी उत्सर्जन मानक	
		विविक्त पदार्थ	1200 माइक्रोग्राम/घन मी.
		टिप्पण:- आशुलोपी उत्सर्जन का प्रबोधन आशुलोपी उत्सर्जन के स्रोत से हवा बहने की प्रमुख दिशा में नीचे की ओर 25.0+2.0 मीटर की दूरी पर निम्न अनुसार किया जाये।	
		<b>क्षेत्र</b>	<b>प्रबोधन अवस्थान</b>
		खान का मुख/बेंच	भूजल की सतह से ऊपर की प्रचालन बेंच के लिए लागू बेधक, खुदाई और भराई।
		दुलाई सड़क/गौण सड़क	अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र की ओर जाने वाली सड़क, अपशिष्ट ढलाव और भराई क्षेत्र और गौण सड़क।
		सदलन संयंत्र	हापर में लगातार अयस्क भराई, सदलन क्षेत्र, छत्रे तथा (अयस्क) स्थानान्तरण स्थल।
		छत्रा संयंत्र	छत्रे, अयस्क वहन और परिवहन उतराई स्थल।
		अयस्क भंडारण और भराई	माध्यमिक भंडार कोष्ठ/ढेर क्षेत्र, अयस्क भंडार कोष्ठ/ढेर क्षेत्र, वैगन/ लारी भराई क्षेत्र।
		अपशिष्ट ढलाव क्षेत्र	चालू अपशिष्ट/खराब ढलाव।
		ग. बहिःस्राव मानक	
		पी एच	5.5-9.0
		निलंबित ठोस (शुष्क दिनों में)	50 मि.ग्रा./लीटर
		निलंबित कण (वर्षा वाले दिनों में)	100 मि.ग्रा./लीटर
		तेल और ग्रीस	10 मि.ग्रा./लीटर
		नोट:- (i) उपचारित बहिःस्राव जल के पुनःउपयोग और पुनःचक्रण के लिये सभी प्रयत्न किये जाएंगे। (ii) उपर्युक्त बहिःस्राव मानकों का अनुपालन मलजल, अयस्क धुलाईजल, उपकर जल के साथ-साथ वर्षा जल को मिलाकर किया जाएगा।"	

[फा. सं. क्यू-15017/21/2007-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव  
**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, में सं.का.आ.844 (अ), तारीख 19 नवम्बर 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं.का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल 1987; सा.का.आ. 64 (अ), तारीख 18 जनवरी 1988; और सा.का.नि. 97 (अ), तारीख 18 फरवरी 2009; सा.का.नि. 149 (अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794 (अ), तारीख 04 नवम्बर 2009; सा.का.नि. 826 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009, सा.का.नि. 01 (अ), तारीख 01 जनवरी 2010; सा. का. नि. 61 (अ), तारीख 05 फरवरी, 2010; सा.का.नि. 485 (अ), तारीख 09 जून, 2010; सा.का.नि. 608 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2010 और सा.का.नि. 739 (अ) तारीख 09 सितम्बर, 2010 द्वारा किए गए।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th October, 2010

**G.S.R. 809(E).**—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Sixth Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in schedule I, after serial number 17 and the existing entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

S. No.	Industry	Parameter	Standard	
(1)	(2)	(3)	(4)	
"18	Iron Ore Mining and Ore Processing	<b>A. Emission Standards for Stack for De-dusting Unit</b>		
		Particulate matter	100 mg/ Nm <sup>3</sup>	
		Stack height **	15.0 m	
		** Stack height for De-dusting unit shall be calculated as $H=74 Q^{0.27}$ , where H and Q are stack height in metre and particulate matter (PM) emission in tonne/hr respectively, i.e.		
		Q (kg/hr)		H (metre)
		up to 2.71		15
		2.72 - 7.86		20
		7.87 - 17.96		25
		17.97 - 35.29		30
		Note:- Stack attached to De-dusting unit shall have minimum height of 15.0 metres and would be atleast 2.50 metres above the top-most point of the nearby building/shed or plant in the mine.		
<b>B. Fugitive Emission Standards</b>				
	Particulate matter	1200 µg/m <sup>3</sup>		
Note:- Fugitive emission shall be monitored in the predominant downwind direction at a distance 25.0+2.0 metres from the source of fugitive emission as per following:				

1	2	3	4
		<b>Area</b>	<b>Monitoring location</b>
		Mine face/ Benches	Drilling, excavation and loading applicable for operating benches above watertable
		Haul Roads/ Service Roads	Haul roads to ore processing plant, waste dumps and loading areas and service road
		Crushing plant	Run-off mine unloading at hopper, crushing areas, screens and transfer points
		Screening Plant	Screens, conveying and transportation of ore discharge points
		Ore Storage & Loading	Intermediate stock bin/pile areas, ore stock bin/pile areas, wagon/truck loading areas
		Waste dump	Active waste/reject dumps
		<b>C. Effluent Standards</b>	
		pH	5.5-9.0
		Suspended solids (non-rainy day)	50 mg/l
		Suspended solids (rainy day)	100 mg/l
		Oil & grease	10 mg/l
		<b>Note:-</b>	
		(i) All efforts shall be made to reuse and re-circulate the treated effluent.	
		(ii) The aforesaid effluent standards shall be complied with for sewage, service water, beneficiation of ore washwater and surface run-off put together."	

[F. No. Q-15017/21/2007-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E) 19<sup>th</sup> November, 1986; and subsequently amended vide S.O. 433 (E) dated 18<sup>th</sup> April 1987; S.O. 64 (E), dated the 18<sup>th</sup> January 1988 and recently amended vide G.S.R. 97(E), dated the 18<sup>th</sup> February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4<sup>th</sup> March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9<sup>th</sup> July, 2009; G.S.R. 543 (E), dated the 22<sup>nd</sup> July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21<sup>st</sup> August, 2009; G.S.R. 794 (E), dated the 4<sup>th</sup> November, 2009; G.S.R. 826 (E), dated the 16<sup>th</sup> November, 2009; G.S.R. 01 (E), dated the 01<sup>st</sup> January, 2010; G.S.R. 61 (E), dated the 5<sup>th</sup> February, 2010; GSR 485(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2010; GSR 608 (E), dated the 21<sup>st</sup> July, 2010 and GSR 739 (E), dated, the 9<sup>th</sup> September, 2010.